न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
अपील सं0 : 05 सन 2023
अनवान :–

1. महेन्द्रपाल पुत्र भीखाराम जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्रमा पंचायत ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
3. गायत्री पुत्री भीखाराम जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. चन्द्रकला पुत्री भीखाराम जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. दामोदर प्रसाद पुत्र हरिराम जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. घापा देवी पुत्री महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. नन्दन कुमार पुत्र हरीराम जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. नारायणी पुत्री भीखाराम जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
9. भागीरथ पुत्र भीखाराम जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. मैना देवी पुत्री महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. रोहताश पुत्र महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
12. लिछमा पत्नी महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
13. शकुन्तला पुत्री महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
14. शारदा देवी पुत्री महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
15. सन्तोष पत्नी हरीराम जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
16. सुभाष पुत्र महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
17. सावित्री देवी पत्नी महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
18. सिलोचना पुत्री महावीर जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 511 दिनांक 20.06.2022 रोही मौजा चक 12 जीजीएम सरपंच ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान को निरस्त करने

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलान्ट

निर्णय दिनांक :– 18/05/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत 75 एल.आर.एक्ट के तहत इस आश्य की पेश की गई है कि रोही मौजा चक 12 जीजीएम के नामान्तकरण संख्या 511 दिनांक 20.06.2022 सरपंच ग्रम पंचायत ढिलकी जाटान गैर कानूनी ढंग से पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

रोही मौजा चक 12 जीजीएम के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.3610हैक भूमि स्थित है जिसमें भीखाराम वल्द हेतराम के नाम 390/9361 हिस्सा को खातेदार काश्तकार थे चुकि भीखाराम के फोत होने पर दस्तबरदारी दिनांक 21.10.2014 के बहाल रहते अपीलाधीन विरास्तन नामान्तकरण दर्ज कर दिया जो विधि की अवहेलना में पारित किया गया है।

भीखाराम वल्द हेतराम के कुल आठ [illegible] जिनमें 1 महावीर 2 भागीरथ 3 हरिराम 4 महेन्द्र 5 शारदा 6 चन्द्रकला 7 [illegible] फोत हो चुका है महावीर ने रोहताश , सुभाष , सावित्री , मैना , सिलोचना [illegible] शकुन्तला वारिस [illegible] जिसमें शारदा देवी चन्दकला नारायणी गायत्री पुत्रीयान भीखाराम , [illegible]छमा पत्नी स्व महा[illegible] वधु भीखाराम सावित्री देवी मेना , शकुन्तला सिलोचना , घापा पुत्री महावीर पौत्री भीखाराम के जिनमें रिलीजकर्ता द्वारा हरीराम व महेन्द्र पि0 भीखाराम को 2/3 हिस्सा उनकी बहिनों द्वारा रोहिताश

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:56:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

व सुभाष पुत्र महावीर 6/8 हिस्सा उक्त भूमि रोही मौजा चक 5 आरएमजी व चक 12 जीजीएम तीनो खातों में भूमि का परित्याग कर दिया मुताबिक दस्तबरदारी दिनांक 21.10.2014 के अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिये था मातहत अदालत ने रजिस्टर्ड दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 21.10.2014 की अवलेलना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो अपास्तनीय है

अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज करते समय अदालत ने दस्बरदारी दिनांक 21.10.2014 को नजरअन्दाज किया गया है अपीलान्ट ने मातहत अदालत को दस्तावेज भी उपलब्ध करवाये थी किन्तु मातहत अदालत ने विधि विरूद्व नामान्तकरण दर्ज किया गया है मातहत अदालत ने वारिस प्रमाण पत्र जो स्वयं सरपंच ग्राम पचायत ढिलकी जाटान ने जारी किया है जिसे वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नही है।

अपीलाधीन नामान्तकरण का पूर्व में अपीलान्ट को ज्ञान नही था उक्त नामान्तकरण दिनांक 21.06.2022 को जारी किया गया है नामान्तकरण दस्तबरदारी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई थी अपीलानट ने पटवारी हल्का से नामान्तकरण की प्रति दिनांक 12.07.2023 को ली तब अपीलान्ट को नामान्तकरण का ज्ञान हुआ जिस पर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की गई है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है फिर भी मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 511 दिनांक 20.06.2022 रोही मौजा चक 12 जीजीएम द्वारा सरपंच ग्रम पचायत ढिलकी जाटान निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट की अपील प्रस्तत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 18 को जरिये रजिस्टर सम्मन तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई रेस्पोडेन्टस सख्या 1 की और से मांगेराम गोदारा अधिवक्ता उपस्थित आये

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया ।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मिमों में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 12 जीजीएम के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.3610हैक भूमि स्थित है जिसमें भीखाराम वल्द हेतराम के नाम 390/9361 हिस्सा को खातेदार काश्तकार थे चुकि भीखाराम के फोत होने पर दस्तबरदारी दिनांक 21.10.2014 के बहाल रहते अपीलाधीन विरास्तन नामान्तकरण दर्ज कर दिया जो विधि की अवहेलना में पारित किया गया है।

भीखाराम वल्द हेतराम के कुल आठ वारिस जिनमें 1 महावीर 2 भागीरथ 3 हरिराम 4 महेन्द्र 5 शारदा 6 चन्द्रकला 7 नारायणी 8 गायत्री है तथा महावीर फोत हो चुका है महावीर ने रोहताश , सुभाष , सावित्री , मैना , सिलोचना, धापा , शकुन्तला वारिस है जिसमें शारदा देवी चन्दकला नारायणी गायत्री पुत्रीयान भीखाराम , लिछमा पत्नी स्व महावीर पुत्र वधु भीखाराम सावित्री देवी मेना , शकुन्तला सिलोचना , घापा पुत्री महावीर पौत्री भीखाराम के जिनमें रिलीजकर्ता द्वारा हरीराम व महेन्द्र पि0 भीखाराम को 2/3 हिस्सा उनकी बहिनों द्वारा रोहिताश व सुभाष पुत्र महावीर 6/8 हिस्सा उक्त भूमि रोही मौजा चक 5 आरएमजी व चक 12 जीजीएम तीनो खातों में भूमि का परित्याग कर दिया मुताबिक दस्तबरदारी दिनांक 21.10.2014 के अनुसार नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिये था मातहत अदालत ने रजिस्टर्ड दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 21.10.2014 की अवलेलना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो अपास्तनीय है

अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज करते समय अदालत ने दस्बरदारी दिनांक 21.10.2014 को नजरअन्दाज किया गया है अपीलान्ट ने मातहत अदालत को दस्तावेज भी उपलब्ध करवाये थी किन्तु मातहत अदालत ने विधि विरूद्व नामान्तकरण दर्ज किया गया है मातहत अदालत ने वारिस प्रमाण पत्र जो स्वयं सरपंच ग्राम पचायत ढिलकी जाटान ने जारी किया है जिसे वारिस प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नही है।

अतः अपील अपीलाट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 511 रोही मौजा ढिलकी जाटान निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:56:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया की अपीलाधीन नामान्तकरण सही तौर से वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज किया गया है नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व सभी पक्षो को ज्ञान था किसी प्रकार के तथ्य नही छुपाये गये है नामान्तकरण दर्ज करते समय दस्तबरदारी प्रस्तुत नही की गई थी सभी वारिसान को नामान्तकरण संख्या 511 की जानकारी थी किसी के द्वारा किसी प्रकार का आक्षेप नही किया गया था नामान्तकरण विधि अनुसार दर्ज किया गया है अपील अपीलान्ट निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनसुार रोही मौजा चक 12 जीजीएम के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.3610हैक भूमि में से 390/9361 हिस्सा भूमि भीखाराम वल्द हेतराम के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी

अपीलान्ट का कथन है कि भीखाराम वल्द हेतराम के देहान्त होने पर विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करते समय भीखाराम के वारिसान के द्वारा दस्तबरदारी दिनांक 21.10.2014 को की गई थी को ध्यान में रखते हुए विरास्तन नामान्तकरण दर्ज नही किया गया है।

नामान्तकरण संख्या 511 दिनांक 20.06.2022 के अवलोकन से पाया गया की सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भीखाराम पुत्र हेतराम की मृत्यू के बाद उसके वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर विरास्तन नामान्तकरण दर्ज किया गया है दस्तबरदारी को इग्नोर किया गया है जबकि दस्बरदारी नामान्तकरण संख्या 511 से पूर्व हो चुकी थी तथा नामान्तकरण के समय प्रभावी दस्बरदारी एक रजिस्टर्ड दस्तावेजात है सरपंच ग्राम पंचायत को विरास्तन अपीलधीन नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व दस्बरदारी दिनांक 21.10.2014 को ध्यान में रखा जाकर ही विरास्तन नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिये था दस्बरदारी को इग्नोर कर विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करने से दस्बरदारी का औचित्य ही समाप्त हो गया जो न्यायोचित नही है।

सरपंच ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान को विरास्तन नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व दस्तबरदारी दिनांक 21.10.2014 को ध्यान में रखा जाकर ही विरास्तन नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिये था ताकि किसी काश्तकार के हकों पर विपरित असर ना हो सके।

उपरोक्त विवेचन अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 511 दिनांक 20.06.2022 दर्ज करते समय दस्तबरदारी दिनांक 21.10.2014 को इग्नोर किया गया है जो न्यायोचित नही है दस्तबरदारी दिनांक 21.10.2014 के ध्यान में रखा जाकर उभयपक्षों को सुनवाई की जाकर ही नामान्तकरण दर्ज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 511 रोही मौजा ढिलकी जाटान स्वीकृत दिनांक 20.06.2022 को निरस्त किया जाता है जाकर प्रकरण तहसीलदार राजस्व नोहर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता कि दस्बरदारी दिनांक 21.10.2014 को ध्यान में रखा जाकर उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य सबुत पेश करने का समुचित अवसर दिया जाकर पूनः निर्णय पारित किया जावें निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। व्यय अपील उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/06/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:56:44 IST
Reason: SelfAttested